न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 45/2018 प्रार्थना पत्र

1. तखत सिंह पिता नाहर सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फाचर सोलंकी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. कल्याण सिंह पिता नाहर सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फाचर सोलंकी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. भगवत सिंह पिता नाहर सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फाचर सोलंकी, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. महेन्द्र पाल सिंह पिता मान सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फाचर सोलंकी, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. नागेन्द्र सिंह पिता मान सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फाचर सोलंकी, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. कृष्ण कुंवर पुत्री मान सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फाचर सोलंकी, तहसील निम्बाहेड़ा।
7. सवित्री कुंवर पुत्री मान सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फाचर सोलंकी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. राजेन्द्र सिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फाचर सोलंकी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. सुरेन्द्र सिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फाचर सोलंकी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. मंजुला कुंवर पुत्री मोहब्बत सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फाचर सोलंकी, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.</u>

निर्णय दिनांक 10.07.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा फाचर अहीरान, तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 110 की आराजी नं. 305 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, आराजी नं. 491 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नं. 519 रकबा 1.9300 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। संवत 2067–70 के जमाबन्दी रेकार्ड तक तो इसका

अंकन सही चला आ रहा था और प्रार्थी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/5, 1/5, प्रार्थी संख्या 4 से 8 का संयुक्त रूप से 1/5 तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/5 हक हिस्सा है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रार्थी संख्या 4 से 8 के पिता मानसिंह जी के देहान्त के बाद विरासत से प्रार्थी संख्या 4 से 8 का हिस्सा संयुक्त रूप से 1/8 दर्ज हो गया तथा संवत 2071-74 के रोटेशन में प्रार्थी नं. 1 से 3 का प्रत्येक का 1/8, 1/8 हक हिस्सा दर्ज कर दिया और विपक्षी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है। विवादित भूमि में प्रार्थी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/5, प्रार्थी संख्या 4 से 8 का संयुक्त रूप से 1/5 तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/5 हक हिस्सा निहित है, इसी अनुसार काबिज काश्त हैं और पूर्व रेकार्ड में भी यही दर्ज था इसलिए राजस्व रेकार्ड में पूर्व रेकार्ड अनुसार अंकन कर, कब्जे अनुसार तरमीम कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया की नाहर सिंह जी ने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्रों को हिस्से देकर काबिज करा दिया था तथा अपना शेष जीवनकाल अपने बड़े पुत्र मोहब्बत सिंह के पास रह कर गुजारा तथा उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नाहर सिंह जी ने प्रश्नगत भूमि का भौतिक व मालिकाना हक मोहब्बत सिंह जी को दे दिया। नाहर सिंह जी की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का नामान्तरकरण अन्य पुत्रों के नाम भी कर दिया जबकी मोहब्बत सिंह जी अपने जीवनकाल तक इस भूमि पर काबिज रहे और अब उनके पुत्र काबिज हैं। वास्तविक स्थिति रेकार्ड पर लाने के लिए घोषणा के दावे और गांव के मौतबिरों एवं रिश्तेदारों की साक्ष्य से ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। प्रार्थीगण यांत्रिक तरीके से लाभ उठाने के अधिकारी नहीं हैं। पटवार हल्का द्वारा राजस्व रेकार्ड अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, वास्तविक मौके के अनुसार रिपोर्ट तैयार नहीं की है इसलिए रिपोर्ट स्वीकार योग्य नहीं है।

विपक्षी संख्या 4 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने जवाब में प्रार्थी के कथनों को स्वीकार करते हुए अंकित किया की ग्राम फाचर सोलंकी के जमाबन्दी रोटेशन संवत 2039-42 में खाता संख्या 79 में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 137 विभाजन से उक्त आराजी जिनके पूर्व आराजी नं. 109, 110, 111 मोहब्बत सिंह, मान सिंह, तख्त सिंह, कल्याण सिंह, भगवत सिंह पिता नाहर सिंह राजपूत हि.ब. दर्ज हुआ है। इसके पश्चात रोटेशन संवत 2055-58 में खाता संख्या 83 पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 215 विरासत से मोहब्बत सिंह के बजाय राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, मंजुला कुंवर पिता मोहब्बत सिंह का नाम दर्ज हुआ जिसमें हिस्सा दर्ज नहीं है जबकि जमाबन्दी रोटेशन 2039-42 में इनका 1/5 हिस्सा है। इसी प्रकार संवत 2067-70 में भी खाता संख्या 100

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में हिस्सा दर्ज नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 100 में विरासत के नामान्तरकरण में मृतक खातेदार मान सिंह का 1/8 हिस्सा दर्ज हो गया है जो रोटेशन वर्ष 2039-42 एवं 2055-58 के अनुरूप नहीं है। इसलिए संशोधन किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण ने मिलान क्षेत्रफल ग्राम फाचर सोलंकी, नकल जमाबन्दी संवत 2039-42 ग्राम फाचर सोलंकी की खाता संख्या 79, नकल जमाबन्दी संवत 2055-58 ग्राम फाचर सोलंकी की खाता संख्या 83, नकल जमाबन्दी संवत 2067-70 ग्राम फाचर सोलंकी की खाता संख्या 99, नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम फाचर सोलंकी की खाता संख्या 110 प्रस्तुत की है। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम फाचर सोलंकी के जमाबन्दी रोटेशन संवत 2039-42 में खाता संख्या 79 में उक्त आराजी जिनके पूर्व आराजी नं. 109, 110, 111 मोहब्बत सिंह, मान सिंह, तख्त सिंह, कल्याण सिंह, भगवत सिंह पिता नाहर सिंह राजपूत हि.ब. दर्ज हुआ है। इस प्रकार नाहर सिंह जी के प्रत्येक पुत्र के 1/5, 1/5 हक हिस्सा बनता है। बाद में उक्त हक हिस्सा बिना किसी पर्याप्त आधार के 1/8, 1/8 दर्ज कर दिया गया जो त्रुटीपूर्ण है। विपक्षी संख्या 1 से 3 ने अपने जवाब में जो तर्क प्रस्तुत किये हैं वह घोषणात्मक सहायता के हैं जिनको वाद के माध्यम से साबित करके ही वांछित सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण को इस प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं रिपोर्ट तहसीलदार निम्बाहेड़ा अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत आराजीयात वाके मौजा फाचर अहीरान, तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 110 की आराजी नं. 305 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, आराजी नं. 491 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नं. 519 रकबा 1.9300 हैक्टेयर भूमि के रेकार्ड में संशोधन करते हुए प्रार्थी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/5, 1/5, प्रार्थी संख्या 4 से 8 का संयुक्त रूप से 1/5 तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/5 हक हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 10.07.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 18:09:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: